राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 51/2024 निगरानी

जगदीश पिता घीसानाथ योगी निवासी जुना गुलाबपुरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा (राज०)

बनाम

1. शान्तिलाल बुरड पिता गणपतलाल बुरड निवासी विजयनगर तहसील विजयनगर जिला अजमेर (राज०)
2. महादेव पिता मोहनलाल तेली निवासी हुरडा जिला भीलवाडा (राज)
3. ग्राम पंचायत हुरडा जरिए सचिव ग्राम पंचायत हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

–गैर निगराकार

–निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 बाबत् पत्रावली संख्या 24/83–84 दिनांक 10/12/1983 को दर्ज कर 14/3/84 को पंचायत हुरडा द्वारा जारी पट्टा को निरस्त कराया जाने बाबत्

उपस्थित – 1. श्री मांगीलाल सेन, अधिवक्ता–निगराकार
2. श्री अमित कोठारी, अधिवक्ता–गैर निगराकार संख्या 2
3. श्री रामदयाल जाट, अधिवक्ता–गैर निगराकार संख्या 3

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 10/02/2026

निगराकार द्वारा यह निगरानी विरूद्ध गैर निगराकारान अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत हुरडा ने आराजी नम्बर 32 में भूखण्ड सख्या 08 नपती 45 बाई 40 कुल क्षेत्रफल 1800 वर्गफिट का पत्रावली संख्या 24/83–84 दिनांक 10/12/1983 को पट्टा जारी किया गया। जबकि उक्त आराजी पर निगराकार के पिता धीसानाथ जी का अपने पूर्वजो के समय से ही कब्जा कास्त चला आ रहा है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत हुरडा तहसील हुरडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 एक शान्तिलाल बुरड पिता गणपतलाल बुरड जाति महाजन आयु 56 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा के अन्दर हल्का आबादी क्षेत्र में स्थित आराजी नम्बर 32 में भूखण्ड सख्या 08 आठ साईज 45 बाई 40 कुल क्षेत्रफल 1800 वर्गफिट का पत्रावली संख्या 24/83–84 दिनांक 10/12/1983 को पट्टा जारी किया गया जबकि आराजी नम्बर 32 पर निगराकार के पिता धीसानाथ जी का अपने पूर्वजो के समय से ही कब्जा कास्त चला आ रहा है। व विवादित स्थल पर निगराकार का कब्जा कास्त चला आ रहा है। व विवादित स्थल पर भूखण्ड संख्या आराजी नम्बर 32 में ही स्थित है। पंचायत द्वारा आबादी भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं होने से पूर्व ही दिनांक 14.03.1984 को पट्टा

10.2.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जारी कर दिया। आबादी का कब्जा सुपुर्द करने हेतु तहसीलदार हुरडा द्वारा दिनांक 15.11.99 को पंचायत को यह पत्र लिख कर उल्लेख किया कि 15.11.99 को आबादी भूमि का कब्जा दिया जाएगा, अतः सरपंच व सचिव कब्जा लेने हेतु उक्त दिनांक को उपस्थित रहें। जब आबादी में दर्ज करने के पश्चात ही पंचायत ने 17.11.99 को कब्जा प्राप्त किया तो वर्ष 1984 में पटटा जारी कैसे हो सकता है। किन्तु उक्त फर्जी पट्टे की आड में विपक्षी–1 के द्वारा विपक्षी संख्या–2 के पक्ष में 17.05.2024 को विक्रय पत्र पंजीयन करवाकर निष्पादित करवा दिया गया। जिसके आधार पर कब्जा प्राप्त करने हेतु विपक्षी संख्या 2 ने 03.07.2024 को धमकी दी, जिससे सम्पूर्ण प्रकरण का ज्ञान होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण निगराकार का प्रश्नगत भूखण्ड पर अपने पूर्वजों के समय से ही कब्जा होकर अपने मवेशियों को बाधते है एवं कृषि उपकरण, घास आदि के उपयोग–उपभोग में लगभीग 70 वर्षो से है। प्रार्थीगण निगराकार एवं उनके भाईयो की शामलाती कृषि भूमि ग्राम हुरडा मंगरा पटवार हल्का हुरडा मंगरा मे शामलाती खातेदारी की कृषि आराजी नम्बर 33,34,36 कुल कीता 03 तीन कुल रकबा 1.9748 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमे पास ही आराजी नम्बर 32 स्थित है जिसे आबादी में लिया गया है उससे पहले ही उक्त भूमि पर प्रार्थीगण निगराकार के पिता बालुनाथ जी का कब्जा था जो नियमित रूप से चला आ रहा है। अवैध रूप से जारी पट्टा बिना राशि जमा हुए नुमाईसी तौर पर पंचायती राज के नियमों के विपरीत जाकर जारी किया गया है। विवादित स्थल ग्राम हुरडा की आबादी भूमि आराजी नम्बर 32 में विधमान है इसके पास ही प्रार्थीगण की भूमि अवस्थित है इसलिए प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर वर्षो से कब्जा कास्त चला आ रहा था यानि कब्जा प्रार्थीगण का चला आ रहा था। इसके अतिरिक्त इसी आराजी नम्बर 32 में भूखण्ड संख्या 02 नपती 60 बाई 40 फीट के भूखण्ड के भूखण्ड का एक पट्टा श्री जगदीश पिता बादुलाल सोडाणी के नाम पर दिनांक 2/3/84 को जारी किया गया जिसकी निगरानी श्रीमान के यहा श्री राजेन्द्र प्रसाद पिता भवरलाल जी झवंर द्वारा प्ररस्तुत की गई जिसे प्रकरण संख्या 3/2003 निगरानी दर्ज होकर दिनांक 7/2/2003 को स्वीकार की जाकर पट्टा स्वीकार की जाकर पट्टा को निरस्त किया गया जिसकी फोटो प्रति इस आवेदन के साथ अवलोकननार्थ प्रस्तुत है। उक्त भूखण्ड को विपक्षी संख्या 01 एक द्वारा विपक्षीसंख्या 02 को विक्रयकर लिया है इसलिए उन्हे भी पक्षकार बनाया है।

अतः प्रार्थीगण निगराकार निगरानी आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में आराजी नम्बर 32 में भूखण्ड संख्या 8 का पट्टा जारी पट्टा दिनांक 14/3/1984 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किए जाने के उपरान्त गैर निगराकार संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की दलीलों पर बहस सुनी गई।

गैर निगराकार संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार निगराकार ने तथ्य असत्य दर्ज किए गए है। आराजी संख्या 32 हस्तगत पट्टा जारी किये जाने से पुर्व ही ग्राम पंचायत हुरड़ा के नाम दर्ज रेकॉर्ड हो गई थी और गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में हस्तगत पट्टा नियमानुसार सही जारी किया हुआ है, जिसे निरस्त कराने का निगराकार को कानुनन कोई हक व अधिकार नहीं है। निगराकार ने हस्तगत निगरानी मात्र उत्तरदाता गैर निगराकार को हैरान–परेशान कर नाजायज रकम ऐंठने के दुराशय से निरामिथ्या व मनगढ़न्त आधारों पर प्रस्तुत की है, जो कानुनन कोई किसी प्रकार से पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है। निगराकार अथवा निगराकार के मौरूस घीसानाथ का हस्तगत पट्टेशुदा भुखण्ड पर कोई किसी प्रकार से कब्जा व दखल नहीं है तथा न कभी रहा ही है। ग्राम पंचायत हुरड़ा द्वारा हस्तगत पट्टा नियमानुसार गैर–निगराकार संख्या 01 के पक्ष में दिनांक 14/03/1984 को जारी किया गया, तब से गैर–निगराकार संख्या 01 हस्तगत पट्टेशुदा भुखण्ड पर काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। इतना ही नहीं ग्राम पंचायत हुरड़ा द्वारा हस्तगत पट्टेशुदा भुखण्ड के संबंध में दिनांक 19/10/2006 को गैर–निगराकार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

10.2.26

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

संख्या 01 के पक्ष में विक्रयपत्र निष्पादित करा दिनांक 20/10/2006 को उपपंजीयक कार्यालय, हुरड़ा में पंजीबद्ध करवाया हुआ है। तदुपरान्त उक्त पट्टेशुदा भुखण्ड को गैर–निगराकार संख्या 01 ने गैर–निगराकार संख्या 02 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांकित 17/05/2024 से विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। तब से गैर–निगराकार संख्या 02 हस्तगत पट्टेशुदा भुखण्ड़ पर काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त आराजी संख्या 32 दिनांक 26/08/1981 को बिलानाम गैर काबिल काश्त से आबादी ग्राम पंचायत हुरड़ा में दर्ज रेकॉर्ड कर दी गई । तदुपरान्त ग्राम पंचायत हुरड़ा द्वारा गैर–निगराकार संख्या 01 को नियमानुसार कार्यवाही करते हुये हस्तगत पट्टा जारी किया है, जिसमें कोई किसी प्रकार से अवैधानिकता अनियमितता नहीं की है। निगराकार ने स्वंय के खातेदारी अधिकार की आराजियातों के पास आराजी संख्या 32 स्थित होने से स्वंय का कब्जा होने और कब्जे के आधार पर हस्तगत पट्टेशुदा भुखण्ड़ का पट्टा स्वंय के पक्ष में जारी किये जाने संबंधी कथन दर्ज किये है, जो निरामिथ्या व मनगढ़न्त होने से उत्तरदाता गैर निगराकारान् को स्वीकार नहीं। हस्तगत पट्टेशुदा भुखण्ड के संबंध में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र निष्पादित होने की पूर्ण जानकारी होने उपरान्त भी निगराकार ने उत्तरदाता गैर–निगराकार संख्या 02 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को निरस्त कराये बिना हस्तगत निगरानी पेश की है, जो कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी निगराकार कानुनन पोषणीय न होने व क्लीन हेन्ड से ना आकर वास्तविक तथ्यों को छिपाकर निगरानी लाए है,इसे सव्यय खारिज फरमाई जावे। हस्तगत पट्टेशुदा भुखण्ड व आराजी संख्या 32 पर कोई किसी प्रकार से न तो निगराकार के मौरूस घीसानाथ का कब्जा था और न निगराकार का कब्जा है और न कभी रहा ही है। बल्कि आराजी संख्या 32 ग्राम पंचायत हुरड़ा की आबादी भुमि है। जिसमें पट्टा विलेख देने का ग्राम पंचायत हुरडा को कानुनन पुर्ण हक–अधिकार है। हस्तगत पट्टेशुदा भुखण्ड के संबंध में दिनांक 19/10/2006 को गैर–निगराकार संख्या 01 के पक्ष में विक्रयपत्र निष्पादित करा दिनांक 20/10/2006 को उपपंजीयक कार्यालय, हुरडा में पंजीबद्ध करवाया हुआ है। तदुपरान्त उक्त पट्टेशुदा भुखण्ड को गैर–निगराकार संख्या 01 ने गैर–निगराकार संख्या 02 को बजरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांकित 17/05/2024 से विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। तब से उत्तरदाता गैर–निगराकार संख्या 02 हस्तगत पट्टेशुदा भुखण्ड़ पर काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। गरज कि निगराकार का कोई किसी प्रकार से हस्तगत पट्टेशुदा भुखण्ड पर कोई किसी प्रकार से कब्जा व दखल नहीं है और न कभी रहा ही है। निगराकार को ग्राम पंचायत हुरड़ा द्वारा जारी पट्टा विलेख दिनांकित 14/03/1984 की प्रारम्भ से ही जानकारी थी व है क्योंकि गैर निगराकार संख्या 01 हस्तगत पट्टेशुदा भुखण्ड पर विगत कई वर्षों से काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है और उक्त पट्टेशुदा भुखण्ड पर बाद खरीद दिनांक 17/05/2024 से उत्तरदाता गैर निगराकार संख्या 02 काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। फिर भी निगराकार ने हस्तगत निगरानी करीब 40 वर्षों उपरान्त प्रस्तुत की है, जो जाहिरा बेरून मियाद होने से कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है। गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा विवादित जायदाद के संबंध में एक सिविल वाद न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा में प्रस्तुत कर रखा है तथा वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया । जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 01/06/2024 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, जो आज तक प्रभावी होकर जैर कार्यवाही है। जिसकी जानकारी निगराकार को प्रारम्भ से ही है। फिर भी निगराकार ने हस्तगत निगरानी वास्तविकता को छिपाते हुये मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत की है, जो कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है।

अतः प्रार्थना है कि निगरानी निगराकार कानुनन पोषणीय न होने से सव्यय खारिज फरमाये जाने का आदेश बक्षाया जावे।

लिखित बहस प्रस्तुत कर प्रकरण में निगराकार ने उनके द्वारा प्रस्तुत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत हुरडा द्वारा अप्रार्थी विपक्षी संख्या

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

10.2.26

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

01 एक के नाम पर ग्राम हुरडा ग्राम पंचायत हुरडा के अन्दर हल्का आबादी क्षेत्र में स्थित आराजी नम्बर 32 मे भूखण्ड संख्या 08 साईज 45 बाई 40 फीट यानि 1800 वर्गफीट भूमि का पत्रावली संख्या 24 वर्ष 83–84 कायम करना बताकर दिनांक 10/12/1983 को पट्टा जारी किया गया जबकि इस भूखण्ड पर प्रार्थी निगराकार के पिता घीसा नाथ जी का कब्जा चला आ रहा था क्योंकि उक्त भूमि आबादी मे दर्ज होने से पूर्व ही कब्जा निगराकार के पिता घीसा नाथ जी का कब्जा आराजी नम्बर 32 मे चला आ रहा था उक्त तथाकथित भूखण्ड संख्या 08 जो कि आराजी नम्बर 32 मे अवस्थिति है जिस पर कब्जा प्रार्थी निगराकार का होकर मौके पर आवासीय मकान निर्मित होकर परिवार सहित निवास कर रहा है विवादित भूखण्ड संख्या 08 के पडौस पूर्व मे औमप्रकाश जी काबरा, पश्चिम मे स्वम का प्लॉट, उतर मे माननाथ जी भोगी दक्षिण में हुरडा गुलाबपुरा रोड स्थित है। उपरोक्त भूखण्ड संख्या 8 पर प्रार्थी निगराकार अपने पूर्वजो के समय से ही कब्जा कास्त चला आ रहा है इसके बावजुद संख्या 03 तीन द्वारा विपक्षी संख्या 01 के नाम पर पट्टा दिनांक 10/12/1983 को पत्रावली निर्मित की जाकर दिनांक 14/9/1984 की अवैधानिक रूप से पट्टा जारी किया गया क्योंकि प्रार्थीगण निगराकार एंव उनके भाईयो की शामलाती कृषि भूमि ग्राम हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा मे स्थित आराजी नम्बर 33,34,36 कुल किता 03 तीन कुल रकबा 1.9748 हैक्टयर भूमि खातेदारी की स्थित है जिसके पास ही आराजी नम्बर 32 में स्थित है जिसे आबादी मे लिया गया उसके पहले ही घीसा नाथ का कब्जा चला आ रहा था आराजी नम्बर 32 को आबादी मे लिया जाकर मौके पर तहसीलदार हुरडा द्वारा दिनांक 18/11/1999 को मौके पर आबादी भूमि का कब्जा संभलाया गया तो उक्त भूमि का पट्टा 14/3/1984 को कैसे जारी किया जा सकता है तथा उक्त तथाकथित पट्टा संख्या 08 के बाबत् कोई पत्रावली कायम नही हुई व ग्राम पंचायत में पट्टा का कोई रेकॉर्ड ही नही है ऐसी स्थिति में भूखण्ड संख्या 08 पट्टा दिनांक 14/3/1984 को जारी किया गया जिसे निरस्त किया जाने हेतु निवेदन निगरानी की आवेदन प्रस्तुत होने पर विपक्षीगण को तलब किया गया विपक्षी संख्या 01 एक व 02 दो शांन्तिलाल महादेव की और से जवाब प्रस्तुत हुआ व विपक्षी संख्या 03 तीन ग्राम पंचायत ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया विपक्षी संख्या 01 व 02 ने अपने जवाब में निगरानी में अंकित तथ्यों को अस्वीकार कर तथाकथित पट्टा संख्या 08 को विधिवत जारी होना बताया गया व उक्त आराजी नम्बर 32 को दिनांक 26/8/1981 को बिलानाम से आबादी में दर्ज होना बताया इसलिए पट्टा विधिवत जारी हुआ है निगरानी को खारीज करने की प्रार्थना की गई । सर्वप्रथम तो यह है कि विवादित भूमि आराजी नम्बर 32 बीलानाम सरकार थी जिसे आबादी में दिनांक 26/8/1981 को नामान्तकरण के रूप में दर्ज किया व आबादी में दर्ज करने का आदेश दिया गया जो कि त्रुटिपूर्ण था क्योंकि उक्त भूमि पर प्रार्थी निगराकार का अपने पूर्वज घीसानाथ जी का कब्जा था मौके पर आवासीय मकान बने हुऐ थे इसके बावजुद बिना मौके की जांच व तहकीकात किये ही आबादी में दर्ज की गई उक्त भूमि बीलानाम से आबादी मे दर्ज का नामान्तकरण 26/8/1981 को खौला जाकर आबादी दर्ज की गई उसके पश्चात् उक्त भूमि को तहसीलदार हुरडा द्वारा दिनांक 18/11/1999 को कब्जा सिपुर्द किया गया था वर्ष 1984 के बिना कब्जा के पट्टे कैसे जारी हो सकते है कुल्या पट्टे जारी करने की कार्यवाही अवैध होकर दुषित कार्यवाही है अतः तथाकथित पट्टा निरस्त होने लायक है। विपक्षी संख्या 03 तीन ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि में पट्टे जारी करने का प्रस्ताव 17/10/1988 को लिया गया तो दिनांक 14/3/1984 को पट्टा जारी कैसे किया जा सकता है इस बाबत् पूर्व मे श्रीमान अपर जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाडा प्रकरण संख्या 3/2023 निगरानी राजेन्द्र बनाम जगदीशचन्द्र ने दिनांक 2/3/1984 को आराजी नम्बर 32 मे भूखण्ड संख्या 02 पट्टा जारी किया गया जिसमे राजेन्द्र कुमार द्वारा पट्टा निरस्त किया जाने हेतु निगरानी मे चुनौती दी गई जो कि निगरानी दिनांक 7/2/2003 को स्वीकार की जाकर पट्टा दिनांक 4/3/1984 को निरस्त किया गया जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है। पूर्व में आराजी नम्बर 32 मे से भूखण्ड संख्या 02 जो का

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

10.2.26

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पट्टा ग्राम पंचायत हुरडा दिनांक 2/3/1984 को जारी किया गया जिसे निगरानी प्रकरण संख्या 3/2023 निर्णय दिनांक 7/2/2003 के जरिए निरस्त किया गया जिसके निर्णय की फाईण्डींग में स्पष्ठ उल्लेख किया गया कि ग्राम पंचायत की और से कोई रेकॉर्ड प्रस्तुत नही हुआ है तथा तथाकथित पट्टा नियमानुसार है अथवा नही इस बिन्दु पर विचार करना है इस बाबत् ग्राम पंचायत का रेकॉर्ड नही होने से विधी सम्मत नही माना गया तथा यह भी उल्लेख किया गया तहसीलदार हुरडा को लिखा गया पत्र जिसमे यह उल्लेख किया गया ग्राम पंचायत को आबादी भूमि का कब्जा 17/11/1999 को कब्जा सिपुर्द किया जायेगा मय सचिव उपस्थित होने तत्पश्चात् 18/11/1999 को कब्जा सिपुर्द किया गया जिसका मौके पर्चा भी संलग्न किया गया भूमि में ही विवादित भूखण्ड संख्या 08 शामिल है ऐसी स्थित में यह स्पष्ठ है कि जब भूमि का कब्जा ही ग्राम पंचायत को 18/11/1999 को प्राप्त हुआ है तो ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा 10/12/1983 को कैसे जारी किया जा सकता है तथा ग्राम पंचायत का ऐसा कोई दस्तावेज नही है जिसमे यह स्वीकार किया गया कि कब्जा 10/12/1983 से पहले ही प्राप्त हो गया हो इसके अलावा भी भूमि ग्राम पंचायत के नाम पर दर्ज होने के पश्चात् ग्राम पंचायत के आबादी भूमि का प्लान तैयार कर पंचायत समिति से अनुमौदन करवा उसके पश्चात् पट्टा जारी करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे भी पट्टे जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत की आम सभा मे पट्टे जारी करने व भूमि को विक्रय करने का प्रस्ताव लिया जाने के पश्चात् ही पट्टा जारी करने की कार्यवाही की जा सकती है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया। ग्राम पंचायत पक्ष के अधिवक्ता श्री रामदयाल जाट ने अपनी बहस में ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत आबादी भूमि का पट्टा जारी करने का तर्क किया। पट्टाधारी पक्ष के अधिवक्ता के अधिवक्ता ने बहस किया कि 1981 में दर्ज आबादी भूमि का विधिवत रूप से 1983 में पट्टा जारी किया गया है। जिसके उपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत निगरानी मियाद बाहर होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा सद्भावी रूप से पट्टा जारी किए जाने के कारण निगरानी अस्वीकार योग्य है। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रश्नगत पट्टा पंचायत द्वारा सद्भावी रूप से जारी होने से व प्रश्नगत निगरानी मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत हुरड़ा जिला भीलवाड़ा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.2.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा